भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

11.12.2024 के

तारांकित प्रश्न सं. 236 का उत्तर

मेट्रो लाइन का विस्तार

***236. श्रीमती रचना बनर्जी:**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पूर्वी रेलवे में हावड़ा से चुचुड़ा तक मेट्रो लाइन के विस्तार के लिए स्थानीय निकायों, जन प्रतिनिधियों से अभ्यावेदन/अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का पिछले दशकों में बढ़ती आबादी के परिणामस्वरूप उत्पन्न अत्यधिक भीड़भाड़ के कारण इस सेक्शन में रेल यात्रियों की भयावह स्थिति को देखते हुए इस लाइन के विस्तार के अनुरोध पर विचार करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

दिनांक 11.12.2024 को लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. 236 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ङ): माननीय संसद सदस्यों, केन्द्र सरकार के मंत्रियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, रेलवे की अपनी आवश्यकताओं, संगठनों/रेल उपयोगकर्ताओं आदि से रेल प्रशासन के विभिन्न स्तरों अर्थात मंडल, क्षेत्रीय रेल मुख्यालय और रेलवे बोर्ड के स्तर पर नई रेलगाड़ियां शुरू करने, मौजूदा रेलगाड़ियों का विस्तार करने, ठहरावों की व्यवस्था करने, नई लाइनों, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण, ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों आदि के लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के प्रस्ताव/सुझाव/अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं, जिनका सार-संग्रह नहीं रखा जाता है। बहरहाल, इनकी जांच की जाती है और समय-समय पर व्यवहार्य और उचित पाए जाने पर कार्रवाई की जाती है।

रेल परियोजनाओं का सर्वेक्षण/स्वीकृति/निष्पादन राज्य-वार नहीं, बल्कि क्षेत्रीय रेल-वार किया जाता है क्योंकि रेल परियोजनाएं राज्य की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं। रेल परियोजनाएं लाभप्रदता, यातायात अनुमान, अंतिम स्थान पहुंच संपर्कता, अनुपलब्ध कड़ियों और वैकल्पिक मार्गों, संकुलित/संतृप्त लाइनों के विस्तार, राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों, संसद सदस्यों, अन्य जन प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई मांगों, रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकताओं, सामाजिक-आर्थिक महत्व आदि के आधार पर स्वीकृत की जाती हैं, जो चालू परियोजनाओं के थ्रोफॉरवर्ड तथा धन की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करता है।

वर्तमान में, चुचुड़ा स्टेशन भारतीय रेल नेटवर्क का एक मौजूदा स्टेशन है जो हावड़ा-बैंडेल जंक्शन पर 3 से 5 रेलपथों वाली मुख्य लाइन पर स्थित है।

कोलकाता में मेट्रो परियोजना 1972 में शुरू हुई थी। तब से, 66 किलोमीटर मेट्रो लाइन का निर्माण किया जा चुका है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

अवधि	कोलकाता और उसके आसपास मेट्रो का निर्माण	व्यय
1972 से 2014 (42 वर्ष)	28 कि.मी.	5981 करोड़ रु.
2014 से 2024 (10 वर्ष)	38 कि.मी.	23050 करोड़ रु.

वर्तमान में, कोलकाता और उसके आसपास 59 किलोमीटर मेट्रो का निर्माण कार्य चल रहा है। इसमें से, 20 किलोमीटर पर कार्य भूमि अधिग्रहण और जनोपयोगिताओं के स्थानांतरण संबंधी मुद्दों के कारण रुका हुआ है जिसका विवरण निम्नानुसार है:

- न्यू बैरकपुर-बारासात (7.5 किलोमीटर) भूमि अधिग्रहण और अतिक्रमण के मुद्दों के कारण रुका हुआ है।

- बारानगर-बैरकपुर (12.5 किलोमीटर) संरेखण के मार्ग में आने वाली जनोपयोगिताओं (कोलकाता नगर निगम की पानी की पाइपलाइन) के स्थानांतरण के कारण रुका हुआ है।

इसके अलावा, साल्ट लेक सेक्टर-V से हल्दीराम (तेघोरिया) तक 6.65 किलोमीटर मेट्रो का कार्य राज्य सरकार से लागत भागीदारी की सहमति न मिलने के कारण रुका हुआ है।

भूमि अधिग्रहण और अन्य मुद्दों के लिए बंगाल राज्य सरकार का सहयोग अपेक्षित है।

किसी रेल परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा त्वरित भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वानिकी स्वीकृतियां, लागत भागीदारी परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा अपना अंशदान जमा करना, परियोजनाओं की प्राथमिकता, अतिलंघनकारी जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भूविज्ञानी और स्थलाकृतिक परिस्थितियां, परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण परियोजना स्थल विशेष के लिए वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

रेल परियोजनाओं के त्वरित अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न कदमों में (i) गति शक्ति इकाइयों की स्थापना (ii) परियोजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करना (iii) प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के लिए निधि आबंटन में पर्याप्त वृद्धि करना (iv) फील्ड स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन (v) विभिन्न स्तरों पर परियोजना की प्रगति की गहन निगरानी और (vi) शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वानिकी और वन्यजीव संबंधी मंजूरियों और परियोजनाओं से संबंधित अन्य मुद्दों को सुलझाने के लिए राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल हैं। इनके परिणामस्वरूप, 2014 से कमीशनिंग की दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

*****